छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण कमांक 158/2008</u>

1.	**श्री सुरेश नखत,** **डोंगरगांव,** **जिला- राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)**	-	*अपीलार्थी*

विरूद्ध

1.	*जन सूचना अधिकारी,* **कार्यालय- वन मण्डलाधिकारी,** **कवर्धा वनमण्डल,** **कवर्धा (छत्तीसगढ़)**	-	*प्रति अपीलार्थी*

//<u>आदेश</u>//

(दिनांक 24 जून, 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि श्री सुरेश नखत, डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव द्वारा दिनांक 27.08.2007 को जानकारी प्राप्त करने के लिए वन मण्डलाधिकारी, कवर्धा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था, किन्तु समयावधि में जानकारी नही मिलने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई । उक्त अपील पर अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 30.10.2007 द्वारा अपील स्वीकार कर 30 दिवस में जानकारी नियमानुसार देने के आदेश दिये गये, किन्तु उसके बाद भी जानकारी नही दिये जाने के कारण उससे असंतुष्ट होकर आयोग के समक्ष यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष के तर्को का श्रवण किया गया । प्रकरण में वन मण्डलाधिकारी ने धारा-7(9) के अन्तर्गत अपीलार्थी को कार्यालयीन समय पर निरीक्षण करने एवं अभिलेखों की छायाप्रति नियमानुसार प्राप्त करने का अनुरोध किया था, किन्तु अपीलार्थी ने अवलोकन से माना करके छायाप्रति ही चाही है । चूंकि वन मण्डलाधिकारी द्वारा किसी प्रकार की जानकारी छुपाने का प्रयास नही किया और न ही गुमराह किया और प्रथम अपीलीय अधिकारी ने भी यही माना है और आयोग के मत में भी किसी प्रकार की शास्ति की आवश्यकता नही है । चूंकि वन मण्डलाधिकारी आयोग के समक्ष द्वितीय अपील में भी आये, उसके कारण जानकारी देने में विलंब हुआ, अतः इस प्रकरण में शास्ति आवश्यक नही है, किन्तु चाही गई जानकारी के संबंध में यह निर्देश अवश्य दिये जाते हैं कि बिन्दु कमांक-1 की जानकारी 15 दिवस में निःशुल्क दिया जावे तथा बिन्दु कमांक-2 की

जानकारी वर्ष 2004 से अब तक विभिन्न योजनाओं के तहत् क्रय की गई सामग्री के संबंध में काफी विस्तृत जानकारी माँगी गई है, अत: उसका 15 दिवस में अपीलार्थी को नि:शुल्क निरीक्षण करा दिया जावे और उसके बाद में जो जानकारी चाहे, उसमें से राशि 100/- रूपये तक की जानकारी नि:शुल्क प्रदान की जावे और शेष जानकारी चाहे तो शुल्क लेकर प्रदान की जावे । साथ ही विलंब के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा-19(8)(ख) के अन्तर्गत विभाग की ओर से राशि 300/- रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में अपीलार्थी को प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील अपील स्वीकार की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त